



विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 13.12.2016 के उपरोक्त विषय के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	प्रार्थी उद्यम पूंजी सहायता योजना के अंतर्गत अपना स्वरोजगार स्थापित (लगाना) चाहता है, क्या सहायता मिल सकती है	उद्यम पूंजी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि आधारित परियोजना स्थापित करने के लिए उद्यम पूंजी सहायता मिल सकती है।
2.	उद्यम पूंजी सहायता योजना के अंतर्गत कौन-कौन से उद्योग लाभार्थी कर सकता है (लगा सकता है)	उद्यम पूंजी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि बागवानी, कृषि व्यवसाय, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन एवं डेयरी उद्योग आदि लगा सकते हैं।
3.	उद्यम पूंजी सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी दुग्ध उत्पादन डेरी उद्योग करना चाहता है, क्या लगा सकता है एव अन्य कौन-कौन से उद्योग लाभार्थी लगा सकता है विस्तार से जानकारी दे	(विस्तार से जानकारी के लिए उद्यम पूंजी सहायता योजना की दिशानिर्देशिका सलंगन हैं )
4.	उद्यम पूंजी सहायता योजना में कितना मार्जिन मनी एवं कितने प्रतिशत अनुदान तथा कितने प्रतिशत ब्याज के संबंध में जानकारी	(विस्तार से जानकारी के लिए उद्यम पूंजी सहायता योजना की दिशानिर्देशिका सलंगन हैं)
5.	उक्त योजना की सहायता हेतु कहां और कैसे आवेदन करना होगा तथा कितने दिनों में पत्रावली स्वीकृत हो जाती है।	उक्त योजना के लिए आवेदन पत्र बेवसाइट <a href="http://www.sfacindia.com">www.sfacindia.com</a> पर उपलब्ध है, जिसे सूचीबद्ध बैंक अथवा SFAC को बैंक के माध्यम से भेजा जा सकता है।
6.	उक्त योजना से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी बताने की कृपा करें।	संपूर्ण आवश्यक जानकारी हेतु उद्यम पूंजी सहायता योजना की दिशानिर्देशिका सलंगन हैं।

**नोट:** उक्त संदर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त मद में धनराशि (Fund) की सीमित उपलब्धता के कारण अभी तक प्राप्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं हो पाई है।

भवदीय,

(सुमती एस.)

उप निदेशक (प्रशासन)/सी.पी.आई.ओ.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-


1. M/s Arete, Plot No. 206 and 302, साउथ एक्सटेंशन, प्लाजा-I, 389, मस्जिद मोठ, एन.डी.एस.ई.-II, नई दिल्ली- 110049. इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.12.2016 में दी। सूचना के अनुसार इस पत्र के Address के अलावा बाकी विवरण इस कार्यालय की Website पर कृपया Upload करें।

आशा है अन्य निर्देशों के लिए आपने NIC के फोन नं. 011-23040281 पर पत्रों को Upload करने के लिए उनसे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली होगी।

2. रोकड़ अनुभाग, एस.एफ.ए.सी., नई दिल्ली।

श्री राम सरन लाल ने RTI की फीस रूपए 10/- Postal Order नं. 73C 271042 एवं 73C 271043 दिनांक 13.12.2016 द्वारा इस कार्यालय को भेज दी गई है। कृपया आप इन Postal Order को सरकारी खाते में जमा कर दें।

3. प्रशासन अनुभाग, एस.एफ.ए.सी., नई दिल्ली- 110016



(सुमती एस.)

उप निदेशक (प्रशासन)/सी.पी.आई.ओ.